

**Integrated Goods & Services Tax Act, 2017**

**Section 18 : Transfer of input tax credit**

On utilisation of credit of integrated tax availed under this Act for payment of, –

- (a) Central tax in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 49 of the Central Goods and Services Tax Act, the amount collected as integrated tax shall stand reduced by an amount equal to the credit so utilised and the Central Government shall transfer an amount equal to the amount so reduced from the integrated tax account to the central tax account in such manner and within such time as may be prescribed;
- (b) Union territory tax in accordance with the provisions of section 9 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, the amount collected as integrated tax shall stand reduced by an amount equal to the credit so utilised and the Central Government shall transfer an amount equal to the amount so reduced from the integrated tax account to the Union territory tax account in such manner and within such time as may be prescribed;
- (c) State tax in accordance with the provisions of the respective State Goods and Services Tax Act, the amount collected as integrated tax shall stand reduced by an amount equal to the credit so utilised and shall be apportioned to the appropriate State Government and the Central Government shall transfer the amount so apportioned to the account of the appropriate State Government in such manner and within such time as may be prescribed.

**Explanation** – For the purposes of this Chapter, “appropriate State” in relation to a taxable person, means the State or Union territory where he is registered or is liable to be registered under the provisions of the Central Goods and Services Tax Act.



## एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

### धारा 18 : इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण

इस अधिनियम के अधीन,—

- (क) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय कर के संदाय के लिए प्राप्त किए गए एकीकृत कर के प्रत्यय के उपयोग पर, एकीकृत कर के रूप में संगृहीत रकम में से इस प्रकार उपयोग किए गए प्रत्यय के बराबर रकम घटा दी जाएगी और केन्द्रीय सरकार एकीकृत कर खाते से इस प्रकार घटी हुई रकम के बराबर रकम को, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, केन्द्रीय कर खाते में अंतरित कर देगी;
- (ख) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के लिए प्राप्त किए गए एकीकृत कर के प्रत्यय के उपयोग पर, एकीकृत कर के रूप में संगृहीत रकम में से इस प्रकार उपयोग किए गए प्रत्यय के बराबर रकम घटा दी जाएगी और केन्द्रीय सरकार एकीकृत कर खाते से इस प्रकार घटी हुई रकम के बराबर रकम को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संघ राज्यक्षेत्र कर खाते में अंतरित कर देगी;
- (ग) क्रमिक राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य कर के संदाय के लिए प्राप्त किए गए एकीकृत कर के प्रत्यय के उपयोग पर, एकीकृत कर के रूप में संगृहीत रकम में से इस प्रकार उपयोग किए गए प्रत्यय के बराबर रकम घटा दी जाएगी और उसे समूचित राज्य सरकार को प्रभाजित कर दिया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार इस प्रकार प्रभाजित रकम को, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, समूचित राज्य सरकार के कर खाते में अंतरित कर देगी।

**स्पष्टीकरण** - इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कराधेय व्यक्ति के संबंध में "समुचित राज्य से" ऐसा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जहां वह रजिस्ट्रीकृत है या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी है।